न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 115/015
रज्जु दिनांक: 20.07.2015
निर्णय दिनांक :– 11.05.2017

1. सीताराम जाट पुत्र महादेव जाति जाट, निवासी गणतपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान।

.......प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु
2. मदन
3. शंकर
4. मोहन

} पुत्रान रामपाल } जाति मीणा, निवासीगण रायथल, तह0 फागी, जिला जयपुर।

5. रूपा पत्नी रामपाल
6. सीताराम पुत्र रामनारायण, जाति बागडा, ब्राहम्ण, निवासी सिंवार तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।
7. सोनिया पुत्र मांग्या
8. बृजमोहन
9. जगदीश
10. धन्ना
11. प्रभु
12. हीरा
13. बंशी
14. तुलसी

} पुत्राान गोविन्द, समस्त जाति मीणा निवासीयान रायथल, तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

15. तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस</u>

उपस्थित:
श्री पुरूषोतम शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक: 11/05/2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र

लगातार..........2

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

बाबत किये जाने तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के आराजी खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नम्बर 86/1 रकबा 10 बीघा जिसके अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 खातेदार काश्तकार ह, इसी प्रकार खाता संख्या 157 के आराजी खसरा नम्बर 86/2 रकबा 15 बीघा जिसके अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 14 खातेदार काश्तकार है, तथा इसी प्रकार खाता संख्या 146 के आराजी खसरा नम्बरा 86/3 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात वाके ग्राम रायथल तहसीलद फागी, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात का मूल खसरा नम्बर 86 रहा है, जो जरिये आवंटन प्रार्थी के पूर्वाधिकारी व अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई है, प्रार्थी की उक्त आराजीयात क्रयशुदा आराजी है। उक्त मूल खसरा नम्बर 86 की नक्शे में किसी प्रकार से तरमीम नही थी, मौके पर पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे थे। पक्षकारान ने मौके पर काबिज अनुसार विभाजन व तरमीम करवाने बाबत पूर्व में माननीय न्यायालय में उनवानी वाद प्रभु बनाम बृजमोहन का पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार फागी से मौके कब्जे की रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिसके तहत तहसीलदार फागी ने दिनांक 07.10.2014 को मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा बनाकर पेश किया, जिसके मुताबिक तरमीम करने हेतु सभी पक्षकारान सहमत हो गये एवं अपनी सहमति बाबत हस्ताक्षर कर रखे है, परन्तु अप्रार्थी प्रभु वगै0 ने अपना वाद माननीय न्यायालय से खारिज करवा लिया था। उक्त सहमति पत्र से पक्षकारान एस्टोप्ड है। वर्तमान में उसी सहमति के अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है, जो इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में रंग से दर्शित अनुसार मौके पर पक्षकारान काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है तथा इसी अनुसार अब पक्षकारान की हाल नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है। मौके पर काबिज अनुसार एवं संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार नक्शे में तरमीम नही होने से पक्षकारान के मध्य विवाद रहता है एवं प्रार्थी को राजकीय

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.........3

सुविधाओं से वंचित हो रहा है तथा प्रार्थी अपनी आराजी पर ऋण आदि प्राप्त नही कर पा रहा है। अभी हाल ही में दिनांक 07.07.2015 को प्रार्थी ने किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि मौके पर काबिज अनुसार हाल नक्शा में तरमीम नही हो रखी है, जिस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से उक्त तरमीम करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने उक्त तरमीम करने से इन्कार कर दिया, तब तहसीलदार महोदय को मरमीम करने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोंही कर तरमीम करवाने की सलाह दी तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 ने भी तरमीम करवाने में सहयोग करने से इन्कार कर दिया, इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का वाद कारण दिनांक 07.07.2015को तरमीम नही होने की जानकारी होने पर व पटवारी एवं तहसीलदार व अप्रार्थीसंख्या 1 लगायत 14 द्वारा तरमीम करने से इन्कार करने के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसमें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवधिकाल में ही प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तलबी जारी की गई। दिनांक 06.05.2016 को अप्रार्थी संख्या 3 व 11 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 20.06.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 व 6 स्वयं उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 जरिये रजिस्टर्ड एडी सूचना के बाबजुद अनुपस्थित रहें। इस लिये दिनांक 11.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब के साथ नक्शा ट्रेस मय रंगीन पेश किया जिस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है।

बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहरातें हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन कियां।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार..........4

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध समझस्त दस्तावेज का अवलोकन करने व बहस पर मनन करने पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किये जाने तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस को स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस स्वीकार किया जाकर आराजी खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नम्बर 86/1 रकबा 10 बीघा, खाता संख्या 157 के आराजी खसरा नम्बर 86/2 रकबा 15 बीघा, खाता संख्या 146 के आराजी खसरा नम्बरा 86/3 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रायथल तहसील फागी जिला जयुपर मे स्थित का मौके पर काबिज व संलग्न रंगीन नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार फागी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/05/2017 को सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी